न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।

पीठासीन अधिकारी– गौरव शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO Code– UP 6276
सिविल अपील संख्या– 151/2016
(मा० उच्च न्यायालय में प्रथम अपील सं०– 1056/1990)
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 151/2016
CNR No.– UPGZ010081112016

1. State of U.P. through Collector, Ghaziabad.
2. Entertainment Tax Officer, Ghaziabad.

––––––– अपीलांट/वादीगण

बनाम

Darshan Talkies Pvt. Ltd., Dadri, district– Ghaziabad.

––––– रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी

निर्णय

1– अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिक अपील, मूलवाद सं० 322/1990, दर्शन टाकिज प्रा०लि० बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि में न्यायालय सिविल जज, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकितः 09.07.1990 व डिक्री दिनांकित 19–07–1990 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गई थी। जिसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Notification No. 35/IV–g–27/Admin(G–1) Section date 05–02–2016 द्वारा उत्तर प्रदेश दीवानी कानून(संसोधन) अधिनियम, 2015(U.P. Act No. 14 of 2015) के तहत उक्त अपील का मूल्यांकन अंकन 25 लाख से कम होने के कारण उक्त सिविल अपील को निस्तारण हेतू माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद को स्थानांतरित किया। जिसके उपरांत इस पत्रावली को माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद को अंतरित कर निस्तारण किये जाने हेतू निर्देशित किया गया।

<u>अपील के आधार–</u>

2–

(i)– वाद, धारा 80 सी.पी.सी. के अधीन आवश्यक नोटिस के अभाव में ग्राह्य (maintainable) नहीं था, क्योंकि वादी को वाद संस्थित करने से पूर्व राज्य सरकार को नोटिस देना आवश्यक था।

(ii)– वादी को जी.ओ. संख्या XXX EB–6(15)/85–फाइनेंस (ई.टी.) अनुभाग दिनांक 21.07.1986 के लाभ हेतु समयावधि विस्तार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जब तक कि वह अपने अधिकार की विधिक घोषणा प्राप्त न कर लेता, तब तक वह प्रतिवादिगण के विरुद्ध वाद आज्ञापक (mandatory suit) प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

(iii)– वादी ने जानबूझकर धारा 80(1) सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रावधान से बचने हेतु आज्ञापक वाद दायर किया तथा धारा 80(2) सी.पी.सी. के प्रावधान वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर लागू नहीं होते थे।

(iv)– विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु 1 पर, धारा 80 सी.पी.सी. की प्रासंगिता के संबंध में विचार करते समय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि को अनदेखा किया।

(v)– वादी निर्दिष्ट तिथि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा सिनेमा लाइसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतु वाद निष्प्रभावी हो गया।

(vi)– न्यायालय ने वाद लंबित रहते हुए कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की, जिससे यह सिद्ध होता है कि वाद में कोई तात्कालिक राहत अपेक्षित नहीं थी।

(vii)– वाद स्वयं धारा 80 सी.पी.सी. के अधीन नोटिस के अभाव में ग्राह्य नहीं था।

(viii)– सिनेमा हॉल के निर्माण हेतु समयावधि विस्तार का निर्देश देना, दिनांक 21 जुलाई 1986 के शासनादेश के अनुसार पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था तथा विद्वान अवर न्यायालय को ऐसा निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था।

(ix)– आज्ञापक निषेधाज्ञा केवल तभी प्रदान की जा सकती थी जब वादी के पक्ष में विधि द्वारा निर्विवादित अधिकार स्थापित होता।

(x)– वादी के पास प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था और वह सरलता से राज्य सरकार से समयावधि विस्तार हेतु संपर्क कर सकता था।

(xi)– यह निर्विवादित है कि शासन की योजना समयबद्ध थी तथा दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था कि वह उक्त योजना की समयावधि का विस्तार करे।

(xii)– यदि वादी यह सिद्ध कर देता कि योजना के क्रियान्वयन में सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट त्रुटि हुई है, तो वह प्रतिकर (compensation) प्राप्त कर सकता था।

(xiii)– किसी भी दशा में वादी न्यायालयों के माध्यम से योजना की समयावधि के विस्तार का दावा नहीं कर सकता था, जिसका विशेष अधिकार राज्य सरकार के पास निहित है।

(xiv)– विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण ढंग से किया।

(xv)– पक्षकारों के कुंसोयजन (misjoinder of parties) के कारण वाद ग्राह्य नहीं था तथा विद्वान अवर न्यायायल ने वाद बिन्दु संख्या 5 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण किया।

(xvi)–राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक सिनेमा भवन निर्माण हेतु योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अनुसार वादी को 29.02.1990 तक निर्माण पूर्ण कर तथा 31.03.1990 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाइसेंस हेतु आवेदन करना था, किन्तु वादी ऐसा करने में विफल रहा, जिससे वाद निष्प्रभावी हो गया।

(xvii)–विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या 8 का निर्णय करते समय दिनांक 13.03.1989 के शासनादेश का गलत प्रकार से विश्लेषित किया।

(xviii)–विद्वान अवर न्यायालय ने यह गलत निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादीगण ने वादी के आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं किया।

(xix)–प्रतिवादीगण ने पूर्णतः सिद्ध किया कि उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई चूक (default) नहीं हुई।

(xx)–स्वीकृति सशर्त थी तथा योजना का लाभ उठाना वादी पर निर्भर था, और वह 31.03.1990 तक निर्माण पूर्ण कर लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए बाध्य था।

(xxi)– विद्वान अवर न्यायालय को लोक सेवाओं के आंतरिक प्रशासन की उपयुक्तता या औचित्य की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था।

(xxii)–वादी को आज्ञापक निषेधाज्ञा का अधिकार नहीं था, जबकि उसके पास क्षतिपूर्ति (damages) का प्रभावी उपाय उपलब्ध था।

(xxiii)–सरकार द्वारा वादी को निर्माण कार्य करने से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, जिससे आवश्यक निषेधाज्ञा की मांग निरर्थक एवं अप्रभावी हो जाती है।

(xxiv)–वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि निषेधाज्ञा के अभाव में उसे अपूर्णीय क्षति (irreparable injury) होगी।

(xxv)–वादी ने स्वीकार किया कि उसे सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा उसे 31.03.1990 तक निर्माण पूर्ण कर लाइसेंस हेतु आवेदन करना था, किन्तु वह स्वयं ऐसा करने में विफल रहा।

(xxvi)–विद्वान अवर न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए विवादित डिक्री के माध्यम से वादी को राहत प्रदान की।

(xxvii)–वादी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने योजना के विस्तार हेतु राज्य सरकार से संपर्क किया था, अतः उसके पास प्रभावी उपाय उपलब्ध था और उचित मंच राज्य सरकार थी, न कि विद्वान अवर न्यायालय ।

(xxviii)–वाद गुण–दोष से रहित (devoid of merit) है एवं सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

(xxix)– विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 8 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण किया।

(xxx)–वादी का वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) की धारा 41 द्वारा वर्जित था तथा विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 9 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण किया।

(xxxi)– विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की उपेक्षा की।

(xxxii)– विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवादीगण के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया।

(xxxiii)– विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण किया।

(xxxiv)– विद्वान अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 6 एवं 7 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध करते समय दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की उपेक्षा की।

(xxxv)– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों (pleadings), स्वीकृतियों (admissions) एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल हैं।

अतः अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा योजित अपील स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांकित 09.07.1990 का निर्णय व डिक्री दिनांकित 19.07.1990 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

3– अपीलार्थीगण ने अपील के समर्थन में एक किता आक्षेपित आदेश दिनांकितः 09.07.1990 व सत्यापित प्रति डिक्री दिनांकित 19.07.1990 की सत्य प्रतिलिपि व शपथपत्र एवं अन्य प्रपत्र की सत्यापित प्रतियां दाखिल किये है।

4– प्रत्यर्थी/वादी द्वारा उक्त सिविल अपील के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

5– उपरोक्त अपील में उभयपक्ष के अभिवचनों का अवलोकन करने के साथ न्यायालय का ध्यान मूल पत्रावली के वादपत्र तथा विपक्षी द्वारा दिये गये प्रतिवाद पत्र की ओर जाता है।

संक्षेप में मूलवाद में वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार अभिवचन किया है कि–

वाद पत्र के अनुसार वादी भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय दादरी गाजियाबाद में स्थित है जिसके निदेशक/मुख्य अधिकारी श्री अमरनाथ गुप्ता हैं जो वादी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने एवं वाद पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हैं । सर्वप्रथम वादी एक भागीदारी फर्म थी जो बाद में प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी मैं परिवर्तित कर दी गयी और उसकी सूचना प्रतिवादीगण को प्रेषित कर दी गयी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिनेमा गृह के निर्माण हेतु एक नीति निर्धारित की गई जिसके अंतर्गत विशेष अवधि के भीतर सिनेमा गृह के निर्माण किये जाने की दशा में दो वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की गयी। कर– मुक्ति की सुविधा प्राप्त करने हेतु सिनेमा गृह का निर्माण व उसका संचालन निश्चित तिथि पर या निश्चित तिथि से पूर्व किया जाना था। मनोरंजन – अधिकारी यह नहीं चाहते थे कि सरकार द्वारा जारी की गयी योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को लाभ हो और इस आशय की पूर्ति हेतू वे उसमें बाधा पैदा करते थे। सुविधा प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा सिनेमागृह का नक्शा आदि प्रस्तुत किया जाना था और उसके आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। सुविधा प्राप्त करने हेतु वादी ने दिनांक 20–5–85 को पूर्ण विवरण सहित सिनेमा निर्माण हेतु प्लान प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 22–5–85 को पुलिस विभाग से आख्या मांगी गयी। तत्पश्चात् मनोरंजन अधिकारीगण ने वादी के प्लान पर कोई कार्यवाही नही की जिसे परिवादी ने उच्चअधिकारीगण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की

धमकी दी । प्रतिवादी ने पत्र दिनांकित 08–06–89, दिनांक 15–6–89 को प्रेषित किया जिसमें मौखिक सूचना के सम्बन्ध में झूठा तथ्य अंकित किया जिस पर निरीक्षण शुल्क व मानचित्र जमा करने हेतु रिक्त चालान व निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया। मनोरंजन अधिकारीगण द्वारा चालान में 1000/– रूपये की धनराशि अंकित की गयी जिसे वादी ने दिनांक 19–6–89 को जमा करा दिया । प्लान स्वीकृत होने की आशा में वादी ने निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया ताकि वह सरकार द्वारा जारी की गयी योजना का लाभ उठा सके किन्तु मनोरंज अधिकारीगण ने पत्र दिनांक 26–8–89 के अन्तर्गत वादी को निर्माण कार्य जारी न रखने का निर्देश दिया। वादी ने सिनेमा भवन के निर्माण में पर्याप्त धनराशि इस आशा के साथ व्यय कर दी कि वह सरकार द्वारा घोषित योजना का लाभ प्राप्त करेगा तथा वादी के भाग पर निर्माण पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई चूक न रहे। प्रतिवादीगण के भाग पर प्लान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विलम्ब हुआ। वादी ने दिनांक 14–12–89 को एक पत्र तथा दिनांक 15–2–90 को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त किया और वादी को यह निर्देश दिया गया कि वह अपना निर्माण व सिनेमा संचालन हेतु कार्य दिनांक 29–2–90 को या उससे पूर्व पूर्ण करे। वादी के लिए इतने कम समय में निर्माण कार्य पूरा करना व सिनेमा का संचालन करना असंभव है। दिनांक 29–2–90 तक ही कर अवकाश की सुविधा प्राप्त है । वादी ने सिनेमा गृह का निर्माण काफी सीमा तक पूर्ण कर लिया किन्तु अभी भी उसमें काफी कार्य किया जाना है जैसे प्लास्टर, फर्नीचर, मशीनों की फिटिंग आदि जिसमें कम से कम 6 माह से एक वर्ष तक का समय लगेगा । सुविधा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि किसी विधि के अन्तर्गत सृजित नही की गयी बल्कि उसका उद्देश्य तीव्र गति से निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है और निर्माण कार्य में जो विलम्ब हो रहा है वह मनोरंजन विभाग के कारण ही हो रहा है। कर अवकाश के बिना वादी के निर्माण कार्य का उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा। राज्य के अधिकारीगण वादी को उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और उनके द्वारा ऐसा न किये जाने पर विबन्ध का सिद्धान्त लागू होता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटस को कार्यालय ज्ञाप संख्या 322/ द स/म/क/89–30–6 बी–68151/85 दिनांकित 13–3–89 के अन्तर्गत यह निर्देश जारी किये कि उनके कार्यालय में उक्त तिथि से पूर्व प्रस्तुत किये गये सभी प्रार्थना पत्र सिनेमा भवन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा में दिनांक 31–3–89 तक निस्तारित कर दिये जाये ताकि सम्बन्धित व्यक्ति अपने निर्माण कार्य को नियत अवधि के भीतर पूर्ण करके अपना भवन संचालित कर सके। सम्बन्धित अधिकारीगण ने राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद भी दिनांक 31–3–89 तक वादी के प्रार्थना पत्र पर

आवश्यक कार्यवाही नही की। सम्बन्धित अधिकारीगण ने दिनांक 14–12–89 को अनुमति प्रदान की और दिनांक 15–2–90 को मानचित्र स्वीकार किया जिसके अन्तर्गत दिनांक 29–2–90 तक सिनेमा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं सिनेमा संचालित करने के निर्देश दिये गये। ऐसी दशा में यदि वादी द्वारा धारा 80 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया जाता तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद निष्परिणाम हो जाता और वादी को अपार क्षति होती इसलिए प्रस्तुत वाद धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर योजित किया गया है । वादी द्वारा यह अनुतोष याचित किया गया है कि प्रतिवादीगण को यह निर्देश जारी किया जाये कि राज्य सरकार द्वारा नव सिनेमागृहों के संबंध में घोषित योजना के अंतर्गत कर अवकाश प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त करने हेतु वादी के सिनेमाग्रह के निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं सिनेमा को संचालित करने हेतु प्रस्तुत वाद योजित करने के 6 माह से एक वर्ष की अवधि में प्रतिवादीगण अभिवृद्ध कर दें।

6– मूलवाद में प्रतिवादी सं०–1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर आपत्ति करते हुए प्रतिवाद पत्र 30 क दाखिल कर कथन किया है कि श्री अमरनाथ गुप्ता वाद योजित करने एवं वाद पत्र पर हस्ताक्षर करने व उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम नही है और प्रस्तुत वाद प्रगतिशील नही है। निःसन्देह उ0प्र0 सरकार द्वारा "सहायता हेतु अनुदान" नामक योजना जारी की गयी है जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान था कि जो व्यक्ति उक्त योजना के अर्न्तगत लाभ उठाना चाहता था, वह दिनांक 31–3–90 तक सिनेमा का निर्माण कार्य पूर्ण करके अनुज्ञप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देता। निःसन्देह वादी द्वारा दिनांक 22–7–85 को सिनेमा भवन के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। वादी स्वयं सिनेमा के निर्माण के सम्बन्ध में इच्छुक नही था, क्योंकि उस समय वादी औषधि बनाने हेतु कारखाना का निर्माण करा रहा था। मनोरंजन विभाग को फर्म द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि वादी सिनेमा के निर्माण में इच्छुक नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित सिनेमा साइट व सम्पत्ति के विरूद्ध अनेक शिकायतें थी। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 17–6–89 तक न तो कोई कार्यवाही की और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रेषित किया और वादी इस अवधि के दौरान शान्त रहा जब कि प्रतिवादी संख्या 1 के मनोरंजन विभाग के कार्यालय में पत्र संख्या 334 दिनांकित 8–6–89 के अन्तर्गत फर्म से यह पूछा गया कि क्या वादी फर्म सिनेमा के निर्माण में इच्छुक थी या नहीं, तो वादी ने दिनांक 17–6–89 को शुल्क जमा किया।

पत्र संख्या 508 दिनांकित 26–8–89 के अन्तर्गत वादी को सूचित किया गया कि यदि वादी सिनेमा भवन जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना बनाना चाहता था तो वह अपने उत्तरदायित्व पर ऐसा कर सकेगा। वादी के भाग पर ही कुल विलम्ब हुआ क्योंकि वादी सिनेमा भवन के निर्माण में इच्छुक नही था और उसने कोई इच्छा इस सम्बन्ध में व्यक्त नहीं की बल्कि वह दिनांक 22–7–85 से दिनांक 17–6–89 तक शान्त रहा एवं जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने हेतु भी कोई पैरवी नही की और न ही आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किया गया। पत्र संख्या 128 दिनांक 14–12–89 के अन्तर्गत वादी सिनेमा के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। उक्त पत्र द्वारा वादी को यह भी निर्देश दिया गया कि वह सिनेमा का निर्माण कार्य व उसका संचालन दिनांक 28–2–90 तक पूर्ण कर ले, किन्तु टंकन त्रुटि के कारण दिनांक 28–2–90 के स्थान पर दिनांक 29–2–90 टंकित हो गया जिसका लाभ वादी प्राप्त नही कर सकता । यदि वादी सिनेमा स्थापित करने में रूचि रखता था तो उसे इस सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिये थी और औपचारिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लेना चाहिये था ताकि उसे सिनेमा भवन के निर्माण करने में पर्याप्त समय प्राप्त हो जाता। सिनेमा भवन का निर्माण कार्य व सिनेमा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 31–3–90 तक पूर्ण व प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ एक निश्चित तिथि तक दिया जाना था और उक्त निश्चित तिथि के पश्चात् कोई भी व्यक्ति उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ पाने का अधिकारी नहीं है और न ही निश्चित तिथि के बाद समय में अभिवृद्धि की जा सकती है। विभाग की ओर से कोई लापरवाही या विलम्ब नही किया गया बल्कि वादी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। वादी ने पहली बार दिनांक 26–7–89 को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया और पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 20–7–85 फर्म दर्शन टाकिज की ओर से प्रस्तुत किया गया था। वादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22–7–85 प्रस्तुत करने के बाद 4 वर्ष तक कोई कार्यवाही नही की और न ही औपचारिकताओं को पूर्ण किया जब कि राज्य सरकार ने न्यायोचित अवधि के भीतर अनुमति प्रदान कर दी। वादी का कोई अनुतोष आवश्यक प्रकृति का नहीं है। अत: वाद के तथ्य धारा 80(2) सी०पी०सी० के प्राविधानों को प्रभावित नहीं करते । वास्तव में प्रस्तुत वाद घोषणा हेतु होना चाहिये न कि निषेधाज्ञा हेतु। इसके अतिरिक्त वाद निषेधात्मक व्यादेश हेतु नही है, बल्कि आदेशात्मक व्यादेश हेतु हैं इसलिए धारा 80 सी०पी०सी० के अन्तर्गत नोटिस के अभाव के कारण दोषपूर्ण है। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ इसलिए वाद विधिक

रूप से प्रगतिशील नहीं है तथा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वाद जिस प्रकार योजित किया गया हैं विधिक रूप से प्रगतिशील नही है। वादी क्षतिपूर्ति हेतु बाद योजित कर सकता है आदेशात्मक व्यादेश हेतु वाद योजित नहीं कर सकता। वाद का मूल्यांकन कम किया गया है तथा भुगतान किया गया। न्याय शुल्क अपर्याप्त है क्योंकि वाद का मूल्यांकन भवन के बाजारी मूल्य के आधार पर होना चाहिये । जनपद गाजियाबाद में कोई मनोरंजन कर अधिकारी नही है इसलिए वाद पक्षकारों के दुसंयोजन के कारण दोषपूर्ण है और खण्डित किये जाने योग्य है ।

अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र 66 क में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कथन किया गया कि संशोधित अनुतोष वास्तविक योजना के अनुकूल नही है तथा विधि के अनुसार स्वीकार नही की जा सकती। प्रश्नगत योजना एक विशेष समय के भीतर जारी की गयी थी जिसका लाभ प्राप्त करने हेतु सिनमा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी के समक्ष सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दिनांक 31–3–90 तक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था किन्तु वादी ने न तो सिनेमा भवन पूर्ण किया और न ही अनुज्ञप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। योजना की अवधि समाप्त हो गयी अतः वाद विष्परिणाम हो गया क्योंकि दिनांक 31–3–90 के पश्चात् कथित योजना अस्तित्व में नही रही। वादी को योजना की शर्त के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अत: प्रस्तुत वाद में विबन्ध या आश्वासनात्मक विबन्ध के सिद्धान्त लागू होने का प्रश्न उत्पन्न नही होता। वादी शुरू से ही इस सम्बन्ध में जानता था कि उसे निश्चित अवधि के भीतर भवन का कार्य पूर्ण करके अनुज्ञप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तत करना था। वादी निश्चित अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण नही कर सका और वादी द्वारा स्वीकृति से पूर्व किया गया निर्माण कार्य अवैध तथा अनाधिकृत है। वाद वर्तमान दशा में भी प्रगतिशील नहीं है और दीवानी न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है क्योंकि वादी को राज्य सरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी उपचार उपलब्ध है किन्तु वादी ने सरकार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अत: निषेधाज्ञा हेतु वाद आज्ञप्त नही किया जा सकता। वादी स्वयं विलम्ब के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उसने दिनांक– 20–6–89 को विभाग में शुल्क जमा करके मानचित्र प्रस्तुत किया। दिनांक 20–6–89 से पूर्व प्रार्थना पत्र अपूर्ण था। विभाग ने वादी के प्रार्थना पत्र पर तुरन्त कार्यवाही की तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनुमोदन मनोरंजन विभाग को दिनांक 12–10–89 को प्राप्त हुआ अत: वादी को दिनांक 14–12–89 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । ऐसी दशा में विभाग के भाग पर

कोई लापरवाही नही हुई। वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41(H) व (G) से बाधित है और खण्डित किये जाने योग्य है ।

7– उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दुओं की विरचना की गयी :–

(i)– क्या वाद धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस के अभाव के कारण दोषपूर्ण है ?

(2 अ)– क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

(2 ब)–क्या भुगतान किया गया न्याय शुल्क, अपर्याप्त है ?

(iii)– क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है?

(iv)– क्या वाद वर्तमान दशा में प्रगतिशील नही है?

(v)– क्या वाद प्रतिवादी संख्या 2 के दुसंयोजन के कारण दोषपूर्ण है ?

(vi)– क्या वादी आदेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है?

(vii)– वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

(viii)– क्या वाद निष्परिणाम हो चुका है जैसा कि अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र के पैरा सं०–3 में कहा गया है?

(ix)– क्या वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41(H) व (G) से बाधित है?

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त वाद बिंदुओं का निस्तारण करते हुए निर्णय दिनांकित 09.07.1990 पारित किया गया, जिसके द्वारा वादी दर्शन टॉकिज प्रा०लि०, दादरी का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को यह आदेश दिया गया कि वादी का वाद आदेशात्मक व्यादेश हेतु इस प्रकार आज्ञप्त किया जाता है कि वादी द्वारा सिनेमा ग्रह, निर्णय की तिथि से 6 माह के भीतर बनाये जाने व लाईसैन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे राज्य सरकार द्वारा घोषित कर अवकाश हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाये।

उपरोक्त निर्णय दिनांकित 09.07.1990 के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलार्थीगण उत्तर प्रदेश राज्य आदि के द्वारा यह अपील योजित की गई।

8– मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया तथा मूलवाद सं० 322/1990, दर्शन टाकीज प्रा०लि० बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदि की तलबशुदा मूल पत्रावली एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 09.07.1990 एवं डिक्री दिनांकितः 19.07.1990 का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्षः–

9– मामले की परिस्थितयों में उभयपक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय पाता है कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह विवेचित किया जाना है कि क्या धारा 80 सी०पी०सी० के नोटिस के अभाव में वाद पोषणीय नहीं था और वादी द्वारा आज्ञापक व्यादेश हेतू वाद को इसलिये दाखिल किया गया कि धारा 80(1) सी०पी०सी० के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधान से छुटकारा पाया जा सके इसलिये धारा 80 उपधारा (2) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं एवं क्या वादी को चूंकि कोई अंतरिम राहत वाद के विचारण के दौरान नहीं प्रदान की गई थी, जिसमें कि यह प्रमाणित होता है कि वादी को वाद में कोई त्वरित आवश्यकता नहीं थी।

अपीलार्थी द्वारा अपील में अभिकथित किये गये उपरोक्त के क्रम में धारा–80 सी०पी०सी० के प्रावधानों को उल्लेखित करना समाचीन होगा–

"सरकार और सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ दावे के लिए सूचना आवश्यकताएँ" –

(1) उपधारा (2) में अन्यथा उल्लेखित मामलों को छोड़कर, सरकार (जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार भी शामिल है) या किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्य के संबंध में, जो उस सार्वजनिक अधिकारी द्वारा उनके आधिकारिक पद में किया गया है, कोई दावा तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिखित सूचना के दो महीने पूरे न हो जाएँ, जो कि निम्नलिखित के कार्यालय में दी गई हो या छोड़ी गई हो :

(a) केंद्रीय सरकार के खिलाफ दावे के मामले में, सिवाय रेलवे के, उस सरकार के सचिव को;

(b) केंद्रीय सरकार के खिलाफ दावे के मामले में जब यह रेलवे से संबंधित हो, उस रेलवे के महाप्रबंधक को;

(bb) जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार के खिलाफ दावे के मामले में, उस सरकार के मुख्य सचिव या उस सरकार द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को;

(c) किसी अन्य राज्य सरकार के खिलाफ दावे के मामले में, उस सरकार के सचिव या जिले के कलेक्टर को;
और, सार्वजनिक अधिकारी के मामले में, उन्हें दिया गया हो या उनके कार्यालय में छोड़ा गया हो । "
(2) सरकार के (जिसके अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर राज्य की सरकार भी आती है), विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध, कोई अत्यावश्यक सूचना की या तुरन्त अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए कोई वाद, न्यायालय की इजाजत से, उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित किसी तामील किए बिना, संस्थित किया जा सकेगा; किन्तु न्यायालय वाद में अनुतोष, चाहे अन्तरिम या अन्यथा, यथास्थिति, सरकार या लोक अधिकारी को बाद में आवेदित अनुतोष की बाबत हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु यदि न्यायालय का पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि वाद में कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो वह वाद–पत्र को वापस कर देगा कि उसे उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए।

(3) सरकार के विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध संस्थित किया गया कोई वाद केवल इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में कोई त्रुटि या दोष है, यदि ऐसी सूचना में–

(क) वादी का नाम, वर्णन और निवास–स्थान इस प्रकार दिया गया है जो सूचना की तामील करने वाले व्यक्ति की शनाख्त करने में समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी को समर्थ करे और ऐसी सूचना उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है, तथा

(ख) वाद–हेतुक और वादी द्वारा दावा किया गया अनुतोष सारतः उपदर्शित किया गया है ।]

10– अवलोकनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष भी उपरोक्त आधार अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा संदर्भित किये गये थे जिसके क्रम में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से क्रम सं०–1 में यह वाद बिन्दु सृजित किया था कि क्या वाद धारा–80 के नोटिस के अभाव के कारण दोषपूर्ण है।

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 09.07.1990 पारित करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि "वादी ने दिनांक 15.02.1990 को सिनेमा भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र प्राप्त किया तथा वादी को दिनांक 29.02.1990 तक अर्थात् 14 दिन के भीतर सिनेमा का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया। वादी के लिए संभव नहीं था कि वह 14 दिन के अंदर विशाल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेता। प्रतिवादीगण की ओर से वादी को यह भी कहा गया कि यदि वह दिनांक 29.02.1990 तक सिनेमा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर लेता और दिनांक 31.3.90 तक सिनेमा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता तो वह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कर की छूट का अधिकारी नहीं होगा। ऐसी दशा में वादी के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा– 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस की तामील कराये बिना योजित करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार उपलब्ध नहीं था क्योंकि यदि वह प्रतिवादीगण को नोटिस प्रेषित करता तो दिनांक 31.03.1990 नोटिस की दो माह की अवधि के भीतर ही समाप्त हो जाती और प्रतिवादीगण यह तर्क प्रस्तुत करते कि राज्य सरकार द्वारा की गई नियत तिथि पर कार्य पूर्ण न करने के दशा में व अनुज्ञप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण वाद निष्परिणाम हो गया। ऐसी परिस्थिति में वादी ने धारा–80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके वाद योजित कर दिया। यदि प्रतिवादीगण को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वाद धारा–80 सिविल प्रक्रिय संहिता के अंतर्गत बाधित है तो वह इस संबंध में वाद पत्र वापिस करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे किंतु प्रतिवादीगण ने ऐसा नहीं किया अतः ऐसी दशा में वाद धारा–80 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों से बाधित नहीं पाया जाता। वाद बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।"

अतः वादी द्वारा धारा–80(2) सी०पी०सी० में प्रदत्त विधान के अनुसार अपनी त्वरित अपरिहार्य आवश्यकता को दर्शाते हुए न्यायालय की अनुमति से बिना अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को नोटिस देकर वाद योजित कर दिया। **स्पष्टतः वाद न्यायालय की अनुमति से विधि द्वारा प्रदत्त प्रावधान के अनुसार वाद योजित करने की अनुमति** प्राप्त कर वाद संस्थित किया गया जिसमें कोई भी विधिक त्रुटि नहीं है इस प्रकार नियमतः प्रत्यर्थी/वादी द्वारा विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वाद संस्थित किया गया। अपीलार्थी/प्रतिवादी न्यायालय द्वारा धारा–80(2) में प्रदत्त विद्वान अवर न्यायालय के अनुसार वाद संस्थित करने की अनुमति देने के आदेश से व्यथित थे तो वे तत्समय ही उसको चुनौती दे सकते थे, पर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया इसलिये

अपीलार्थी का यह तर्क कि धारा–80 सी०पी०सी० के अंतर्गत उन्हें नोटिस न दिये जाने के कारण वाद पोषणीय नहीं है यह तर्क बलहीन है। इस के अतिरिक्त जहां तक अपीलार्थी का यह कथन है कि चूंकि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद के विचारण के दौरान वादी को कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की गई थी, जो कि स्वयं में पर्याप्त सबूत इस तथ्य का है कि वाद में कोई त्वरित एवं नितांत आवश्यक अनुतोष की कोई आवश्यकता नहीं थी तो उपरोक्त के संदर्भ में यह उल्लेखित करना समाचीन होगा कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा धारा–80(2) में अंकित प्रावधान के दृष्टिगत समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से अवगत होते हुए और यह मानते हुए कि हस्तगत प्रकरण में त्वरित आवश्यक राहत जरूरी है, वादी को प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये वाद का संस्थित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई और मात्र इस आधार पर कि दौरान विचारण वादी को कोई अंतरिम राहत प्रदान नही की गई, उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वाद में कोई त्वरित एवं अति आवश्यक/तत्काल राहत निहित नहीं थी।

विद्वान अवर न्यायलय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांकित 09.07.1990 में वाद बिन्दु सं० 1 को निस्तारित करते समय वाद में निहित त्वरित एवं अति आवश्यक राहत को प्राप्त करने का आधार पूर्ण रूप से विश्लेषित किया है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा समुचित रूप से नहीं किया गया है इसलिये उपरोक्त स्तर तक अपीलार्थी/प्रतिवादी के तर्क आधारहीन एवं निर्मूल है।

11– अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में एक आधार आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने हेतु यह लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि आदेशात्मक व्यादेश वादी के पक्ष में तभी जारी किया जा सकता था जबकि उसके पास निर्विवादित विधिसम्मत अधिकार अस्तित्व में हो। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी समय विस्तार हेतू राज्य सरकार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता था एवं वादी को अन्य प्रभावी उपचार उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई योजना निश्चित समय हेतू थी और योजना का समय बढ़ाये जाने हेतू न्यायालय को राज्य सरकार को निर्देश देकर लोक सेवा के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त संदर्भित अभिकथनों के आधार पर वाद बिन्दु सं०–3 इस आशय का सृजित किया गया कि क्या इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधि–व्यवस्थाओं से आबद्ध पाते हुए यह निष्कर्ष दिया कि क्योंकि प्रस्तुत वाद में जटिल तथ्य अन्तर्विष्ट हैं जिनके संदर्भ में साक्ष्य की आवश्यकता है और प्रतिवादीगण की ओर से यह दर्शाया नहीं जा सका है कि किस विधि या नियम के अंतर्गत इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वाद बिन्दु सं०–3 को नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया। अपील के स्तर पर भी ऐसी कोई विधि या विधान अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह परिलक्षित हो कि हस्तगत वाद उक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में आता है जिसमें दीवानी न्यायालय को इस प्रकार के वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा–9 सी०पी०सी० में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि–

"जब तक कि वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे – न्यायालयों को (इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए) उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी ।"

अतः दीवानी न्यायालय के इस प्रकार के वाद के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित होने के संबंध में मात्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता है अपितु इस संबंध में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित किया जाना आवश्यक है।

इन परिस्थितियों में जबकि अपीलार्थी की ओर से न तो कोई विधि–व्यवस्था और न की ऐसी कोई विधि प्रस्तुत की गई हो, जिसमें दर्शित हो रहा है कि प्रस्तुत वाद की क्षेत्राधिकारिता सिविल न्यायालय में निहित न हो, ऐसे में स्वतः सिविल न्यायालय की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता को वर्जित नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त स्तर तक अपीलार्थी के तर्क सारहीन हैं।

अपीलार्थी द्वारा अन्य आधार यह लिया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी को राज्य सरकार के शासनदेश सं०– XXXEB–6(15)–85–फायनैंस(E.T) अनुभाग दिनांकित 21.7.86 के अंतर्गत समय बढ़वाने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध आदेशात्मक व्यादेश का वाद लाने से पूर्व वादी/प्रत्यर्थी को अपने अधिकारों की घोषणा करनी चाहिये थी, वादी ने निश्चित समय के अंदर न तो अपना निर्माण पूर्ण किया और न ही सिनेमा लाइसेंस के लिये आवेदन किया। उक्त स्कीम के अंतर्गत

यह आवश्यक था कि वादी/प्रत्यर्थी अपना निर्माण दि० 29–02–1990 तक पूर्ण करता और सक्षम अधिकारी से सिनेमा लाइसैंस प्राप्त करने हेतु आवेदन दि० 31.03.1990 तक करता लेकिन वादी/प्रत्यर्थी न तो निश्चित अवधि के अंदर निर्माण कार्य कर पाया औ न ही आवेदन कर पाया इसलिये उसका वाद तत्समय ही निष्प्रोज्य हो चुका था। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह गलत निष्कर्ष दिया गया है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थी द्वारा सिनेमाघर की स्वीकृति देने के वादी के प्रार्थना पत्र को समय के अंदर निस्तारित नहीं किया। प्रतिवादीगण/अपीलार्थी के द्वारा कोई भी गलती किसी प्रकार की नहीं की गई थी और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु क्र० 8 निस्तारित करते समय गलत विश्लेषण शासनादेश दि० 13.03.1989 का किया गया। उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलार्थी/प्रतिवादीगण यह कहना चाहते हैं कि चूंकि प्रश्नगत स्कीम के अंतर्गत वादी द्वारा समय के अंदर न तो सिनेमा ग्रह के निर्माण को पूर्ण किया गया और न ही अनुज्ञप्ति हेतू आवेदन किया गया इसलिये वादी/प्रत्यर्थी का वाद निष्प्रयोज्य/निष्परिणाम है और वह किसी आदेशात्मक व्यादेश को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं०–4 इस आशय का सृजित किया गया है कि क्या वाद वर्तमान दशा में प्रगतिशील नहीं है?

वाद बिन्दु सं०–6 इस आशय का सृजित किया गया है कि क्या वादी आदेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है?

वाद बिन्दु सं०–8 इस आशय का सृजित किया गया है कि क्या वाद निष्परिणाम हो चुका है जैसा कि अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र के पैरा सं०–3 में कहा गया है?

वाद बिन्दु सं०–8 का निस्तारण करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांकित 09.07.1990 में यह उल्लेखित किया है कि –

वादी ने दिनांक 20.7.85 को सिनेमा ग्रह बनाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद ने पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को दि० 22.07.1985 को वादी के सिनेमाग्रह बनाने के संबंध में आख्या प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया। तत्पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र पर न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही वादी को इस संबंध में कोई सूचना प्रेषित की गई। पहली बार दि० 8–6–89 को कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद ने वादी को पत्र प्रेषित किया कि वादी द्वारा प्रस्तावित नये

सिनेमाग्रह दर्शन टाकिज के स्थल का अनुमोदन किया जा चुका है जिसके संबंध में मौखिक रूप से वादी को कई बार निर्देशित किया गया है। अतः वादी पत्र की प्राप्ती के तीन दिन के भीतर आवश्यक न्याय शुल्क जमा कराये तथा मानचित्र की तीन प्रतियां दाखिल करें। वादी ने उक्त पत्र प्राप्ती के बाद शुल्क भी जमा कर दिया और मानचित्र की भी तीन प्रतियां दाखिल कर दी। यह महत्वपूर्ण है कि शासनादेश के अंतर्गत यह कहा गया था कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सिनेमाग्रह के निर्माण से संबंधित सभी प्रार्थना पत्र दिनांक 31–3–89 तक निस्तारित कर दी जाये, किंतु प्रतिवादी द्वारा प्रेषित पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता कि वादी का प्रार्थना पत्र दि० 20–7–85 का निस्तारण दिनांक 31–3–89 तक कर दिया गया। वादी को मौखिक रूप से निर्देशित किये जाने के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और न ही इस संबंध में कोई निश्चित साक्ष्य प्रस्तुत की गयी कि वादी को किस दिन व किस समय सूचना दी गयी।

12– उपरोक्त आधार को उल्लेखित करते हुए यह पाया गया कि शासन द्वारा नियत अवधि के भीतर वादी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया और उसे सिनेमाग्रह के अनुमोदन के संबंध में दिनांक 08.06.1989 से पूर्व कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई ऐसे में वाद निष्परिणाम होना नही पाया जाता है और वाद बिन्दु सं०–8 को नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण/अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णीत किया गया। स्पष्टतः इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं किया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी ने दिनांक 20.07.1985 को सिनेमाग्रह बनाने की स्वीकृति का प्रार्थनापत्र दिया, जिसका निस्तारण शासन द्वारा 08.06.1989 को वादी को पत्र प्रेषित करके किया गया और उसे न्यायशुल्क व मानचित्र की 3 प्रतियां प्रस्तुत करने को कहा गया। वादी/प्रत्यर्थी द्वारा जिसका अनुपालन किया गया किंतु विभाग ने दि० 15.02.1990 को भवन निर्माण का मानचित्र कागज सं०–32ग स्वीकार करके वादी को निर्माण कार्य 29 फरवरी 1990 तक पूर्ण करने को कहा अर्थात् मात्र 13 दिनों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था। उपरोक्त समस्त तथ्यों से अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा इंकार नहीं किया गया है कि इस प्रकार वादी/प्रत्यर्थी द्वारा सिनेमाग्रह बनाने हेतू प्रस्तुत आवेदन दि० 20.07.1985 का निस्तारण शासन/प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.06.1989 से पूर्व नहीं किया गया अर्थात् उनके द्वारा 4 वर्ष तक वादी के प्रार्थना पत्र को लंबित रखा गया और उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई। उनकी ओर से ऐसा कोई संतोषप्रद विश्वसनीय तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि यह स्थापित करे कि

चार वर्ष की लम्बी अवधि तक वादी/प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपरोक्त के संदर्भ में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने यह कहने का प्रयास किया कि चूंकि वादी स्वयं सिनेमाग्रह के निर्माण में इच्छुक नहीं था व प्रस्तावित सिनेमा हाल व संपत्ति के विरूद्ध अनेक शिकायत थी और और स्वयं वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये पैरवी के अभाव में एवं उपरोक्त आधारों पर उसके प्रार्थनापत्र का निस्तारण दि 08.06.1989 से पूर्व नहीं किया गया।

13– प्रतिवादी/अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का भी निराकरण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं०–4,6 व 7 को निस्तारित करते हुए किया गया और यह माना गया कि प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा न तो कोई शिकायत प्रस्तुत की गई और न ही वादी का प्रार्थना पत्र उसकी अनिच्छा के चलते खण्डित किया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि वादी को क्या औपचारिकतायें पूर्ण करती थी, जिसमें उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.1985 का निस्तारण हो सके। वास्तव में प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद कारण वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.1985 को चार वर्ष तक की लम्बी अवधि तक लंबित रखने का नहीं दर्शाया जा सका है।

दिनांक 08.06.1989 के पूर्व वादी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.1985 के संबंध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई और जैसा कि वादी/प्रत्यर्थी का आवेदन दि० 08.06.1989 को स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् वादी द्वारा जून–1989 में शुल्क जमा कर सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिया गया लेकिन उसके 8 माह बाद दिनांक 15.02.1990 को वादी के मानचित्र को स्वीकृत किया गया और 13 दिन के भीतर दिनांक 29.02.1990 तक निर्माण पूर्ण करने का आदेश दिया।

प्रतिवादीगण/अपीलार्थी द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में चार वर्ष की लंबी अवधि लगाने का कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही 8 माह तक मानचित्र स्वीकृत करने में लगने वाले समय का कारण बताया और उसके बाद स्वयं इतनी लम्बी अवधि तक कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए समय लेने के उपरांत भी उनके द्वारा वादी/प्रत्यर्थी से यह अपेक्षा करना कि वह 13 दिन की अवधि में दिनांक 29.02.1990 तक सिनेमा गृह का निर्माण कार्य पूर्ण कर ले, यह किसी भी तार्किक यहां तक कि कल्पना के धरातल पर भी संभव नहीं है, ऐसे में यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं वादी को दी जाने वाली सभी आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदन को देने में विलम्ब किया गया और

अब अपनी स्वयं की गलती का लाभ उठाते हुए वादी/प्रत्यर्थी को शासन की स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त छूटों एवं लाभ से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को अपने निर्णय दिनांकित 09.07.1990 में वाद बिन्दु सं०–4,6,7 व 8 के निस्तारण के समय विस्तृत रूप से विश्लेषित एवं उल्लेखित किया गया है, जिसके खंडन में कोई प्रमाणित साक्ष्य, विधि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है।

उपरोक्त वाद बिन्दुओं को निस्तारित करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि वाद प्रगतिशील है एवं वादी आदेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है।

14– एक अन्य अवलोकनीय तथ्य यह भी है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांकित 09.07.1990 के पारित किये जाने के उपरांत शासन द्वारा प्रश्नगत सिनेमा हाल पर मनोरंजन कर अधिरोपित करने के विरूद्ध वादी/प्रत्यर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका सं०–93/92 प्रस्तुत की गई थी तथा उपरोक्त रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने निर्णय व आदेश दिनांकित 15.01.1998 के माध्यम से निस्तारित करते हुए शासन के उक्त आदेश को उ०प्र० शासन के समक्ष चुनौती देने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में वादी/प्रत्यर्थी द्वारा आदेश दिनांकित 28.01.1992 के विरूद्ध उ०प्र० आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 के अंतर्गत उ०प्र० शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो कि विशेष सचिव कर एवं संस्थागत वित्त द्वारा आदेश दि० 29.05.1998 द्वारा निस्तारित की गई, उक्त आदेश की सत्य प्रतिलिपि कागज सं०–5ख/2 लगायत 5ख/8 अपील की सुनवाई के दौरान वादी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत की गई जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि "दर्शन टाकीज, दादरी गाजियाबाद को अनुदान योजना शासनादेश दिनांक 21.7.86 के अंतर्गत छविगृह निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी। छविगृह निर्माण पूर्ण करने की अवधि कम होने के कारण छविगृह स्वामी द्वारा सिविल जज, गाजियाबाद के अदालत में एक वाद दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को छः माह में सिनेमा का निर्माण करने की अनुमति दी गयी थी और राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ देने के आदेश दिये गये थे। छविगृह स्वामी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्धारित अवधि में छविग्रह का निर्माण करा लिया गया और अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र पर विचारोपरांत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्शन टाकीज, दादरी में दि० 30.3.91 को चलचित्र परिसर

हेतु लाइसेंस प्रदान कर दिया परंतु दिनांक 29.4.91 को बिना कोई कारण बताये तीस दिन के भीतर मनोरंजन कर राजकोष में जमा करने की नोटिस सिनेमा स्वामी को दी गयी, यह भी कहा गया कि संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर लाइसैंस विलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। छविग्रह स्वामी द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने पर उससे कोई कर नहीं मांगा गया परंतु दि० 31.12.91 को एक नोटिस के माध्यम से अपीलकर्ता को यह निर्देश दिये गये कि सिविल जज, गाजियाबाद के निर्णय दिनांकित 09.07.90 के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा छः माह की अवधि के भीतर कतिपय अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये इसलिये उसे अनुदान योजना का लाभ देय नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि छविग्रह स्वामी द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरांत ही उसे लाइसेंस प्रदान किया गया। यदि किसी प्रकार की कोई औपचारिकता बाकी होती तो उसे लाइसेंस निर्गत होने से पूर्व ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण करायी जानी चाहिए थी। जिला मजिस्ट्रेट,गाजियाबाद द्वारा भली–भांति संतुष्ट होने के उपरांत ही उक्त सिनेमा को दिनांक 14.12.1989 को निर्माण की अनुमति दी गयी थी और माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सिनेमा निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उसे लाइसेंस भी प्रदान किया गया था। अतः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्शन टाकीज, दादरी के चलचित्र प्रदर्शन पर रोक लगाये जाने विषयक आदेश दि० 28.1.92 का कोई औचित्य एवं आधार नहीं प्रतीत होता है। दर्शन टाकीज, दादरी वर्तमान में लाइसेंस के अभाव में बंद पड़ा हुआ है । छविग्रह के बंद होने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। अतः जनहित एवं राजस्व हित में छविग्रह के लाइसेंस देने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल छविग्रह को लाइसेंस प्रदान कर चलचित्र प्रदर्शन प्रारंभ कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। चूंकि माननीय सिविल जज गाजियाबाद के आदेश दिनांक 9.7.90 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा एक रिट याचिका संख्या–1056/90 दायर की गई है जो अभी विचाराधीन है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट,गौतमबुद्धनगर को यह निर्देश दिये जाते हैं चूंकि प्रश्नगत छविग्रह अनुदान योजना के अंतर्गत निर्मित हुआ है और वह इस योजना के अंतर्गत , आदेशों के क्रम में चल भी चुका है, फलस्वरूप छविग्रह को नियमानुसार अनुदान योजना का लाभ इस शर्त के साथ प्रदान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें कि यदि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका सं०–1056/90 में निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में होता है, तो छविग्रह स्वामी को प्रदान की गयी अनुदान की समस्त धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी। एतदनुसार अपील निस्तारित करते हुए निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं किया गया है ,उक्त आदेशानुसार वादी/प्रत्यर्थी को न केवल छविग्रह को लाइसैंस प्रदान करने की अनुमति दी गई है अपितु जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को यह भी निर्देशित किया गया था कि वह प्रश्नगत छविग्रह को नियमानुसार अनुदान योजना का लाभ प्रदान करे, इससे यह स्पष्ट है कि स्वयं शासन द्वारा भी वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में न केवल विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 09.07.1990 के अनुक्रम में प्रत्यर्थी द्वारा अपने सिनेमाग्रह का निश्चित अवधि के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का तथ्य स्वीकृत किया गया अपितु जिला अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि वे वादी/प्रत्यर्थी को छविग्रह हेतु लाइसैंस प्रदान करें व अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करें।

इस प्रकार एक तरफ तो स्वयं शासन द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 09.07.1990 का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जा चुका है, ऐसे में उसी शासन के निचले स्तर(जिला स्तर के) अधिकारियों द्वारा न्यायालय का आदेश, जिसका अनुपालन क्रियान्वयन के निर्देश शासन द्वारा पूर्व से दिये जा चुके हैं, उसको ऐन–केन प्रकारेण विवादित या आक्षेपित करना कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है एवं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जन–मानस के हित के लिए जारी की गई जन योजनाओं का क्रियान्वयन मनमाने ढंग से विफल करने के अथक प्रयास को दर्शाता है।

15– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बिन्दु सं०–5 इस आशय का सृजित किया गया है कि क्या वाद प्रतिवादी सं०–2 के दुसंयोजन के कारण दोषपूर्ण है?

उपरोक्त वाद बिन्दु का निस्तारण करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में अभिकथन किया है कि प्रतिवादीगण की ओर से कहा गया है कि मनोरंजन कर अधिकारी गाजियाबाद नामक कोई पद अस्तित्व में नहीं है इसलिये वाद प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध दुःसंयोजन के कारण दोषपूर्ण है। वादी की ओर से यह नहीं दर्शाया गया जा सका कि प्रतिवादी सं०–2 नामक पद अस्तित्व में है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी इसलिये वाद बिन्दु सं०–5 सकारात्मक में वादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। वाद बिन्दु सं०–5 के निष्कर्ष का कोई दुष्प्रभाव वाद पर नहीं पड़ता है।

उपरोक्त के संबंध में यह न्यायालय पाता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद बिन्दु सं०–5 का निस्तारण अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग कर विधिनुसार न्यायोचित निष्कर्ष देकर निर्णित किया है, वाद में

कुसंयोजन के दोष से वाद के गुणदोष पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः उपरोक्त स्तर तक अपीलार्थी का तर्क बलहीन है।

16– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बिन्दु सं०–9 इस आशय का सृजित किया गया है कि क्या वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41(H) व (G) से बाधित है?

उपरोक्त वाद बिन्दु का निस्तारण करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में अभिकथन किया है कि प्रतिवादीगण की ओर से कहा गया कि वादी को राज्य सरकार के समक्ष इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी उपचार उपलब्ध है अतः वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41(H) व (G) से बाधित है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और जिला मजिस्ट्रेट को ही सिनेमा का लाइसेंस प्रदान करने हेतु शासनादेश के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त है अतः वादी की ओर से राज्य सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है और राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि शासनादेश के अनुसार वाद निष्परिणाम हो गया है और वादी को केवल दिनांक 31–3–90 तक कर छूट प्रदान की जा सकती थी। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार स्वयं इस संबंध में लिये गये निर्णय की पक्षकार है अतः इस तथ्य के प्रकाश में भी वादी को कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं था और न है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41(H) व (G) से बाधित नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में यह न्यायालय पाता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद बिन्दु सं०–9 का निस्तारण अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग कर विधिनुसार न्यायोचित निष्कर्ष देकर निर्णित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है।

17– उपर्युक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्थाओं के विवेचन व अधिनिर्णय के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सुसंगत साक्ष्य का सम्यक् विवेचन व विश्लेषण करते हुए एवं अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग कर विधिनुसार न्यायोचित निष्कर्ष देकर निर्णय दिनांकितः 09.07.1990 पारित किया गया है, जिसमें हस्तगत अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किये जाने का विधिसंगत आधार नहीं है। अतएव् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय पुष्ट

किये जाने योग्य है एवं हस्तगत व्यवहारिक अपील निरस्त किये जाने योग्य है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित सिविल अपील 151/2016, (माननीय उच्च न्यायलय में प्रथम अपील सं०– 1056/1990) निरस्त की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद सं०–322/1990 दर्शन टाकिज प्रा० लि० बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि में पारित निर्णय व आदेश दिनांकितः 09.07.1990 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय व आदेश की प्रतिलिपि अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये। हस्तगत अपील की पत्रावली नियमानुसार समनुदेशित की जाये।

दिनांक 23.03.2026

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक 23.03.2026

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।